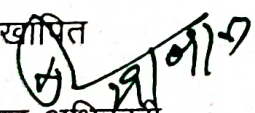
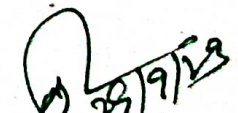


आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभियुक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0(दिशा निर्देश 95/2016,2074/रा0 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/ खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जाँच प्रारम्भ की गयी। जिसमें राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है मौजा बड़ाखरियोपाड़ा थाना संख्या 18 खाता संख्या 51 दाग संख्या 396 रकवा 03-04-03 धूर भूमि न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा वर्ष 2002-03 में दानिएल मुर्मू पिता जुनास मुर्मू साकिम बड़ाखरियोपाड़ा को वर्ष 2002-03 में भू-बन्दोबस्ती पट्टा निर्गत किया गया है। तदोपरान्त भू पट्टाधारी श्री दानिएल मुर्मू पिता स्व जुनास मुर्मू द्वारा सरकार को भूमि का लगान भुगतान किया गया है, लगान रशीद एवं बंदोबस्त पट्टा अभिलेख बद्ध है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा निर्गत भू-बन्दोबस्ती पट्टा एवं निर्गत लगान रशीद के अवलोकनोपरान्त मौजा बड़ाखरियोपाड़ा थाना संख्या 18 अनाबादी खाता संख्या 51 दाग सं0 396 रकवा 03बीघा 04 कट्टा 03धूर भूमि के विरुद्ध न्यायालय अंचल अधिकारी महेशपुर में राजस्व विविध वाद संख्या 213/16-17 के माध्यम से संस्थित बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(4) की कार्यवाही को बन्द किया जाता है। लेखापित  अंचल अधिकारी महेशपुर  अंचल अधिकारी महेशपुर।	